झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–1222 / गो0 दिनांक 10.04.2010 एवं पत्रांक– 3506 / गो0 दिनांक 02.12.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–3080 दिनांक 08.06.2011

श्री प्रदीप प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–664 / 03, गृह जिला–देवघर), अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–1222 / गो0 दिनांक 10. 04.2010 द्वारा प्रपत्र– 'क' में प्रतिवेदित आरोपों पर श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0–1640, दिनांक 20.02.2013 द्वारा लघु शास्तियाँ के अन्तर्गत निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

1. चार वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव रोक एवं
2. निन्दन

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका W.P.(S) No.-4548/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2016 को पारित आदेश में श्री प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त किया गया है। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है :–

5(iii)- In the instant case, after acceptance of the explanation by the Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chaibasa, there was no occasion on the part of respondent no.-2 to differ with the opinion of the Deputy Commissioner. However, no show cause was issued prior to imposition of punishment which has prevented the petitioner to make an effective representation as envisaged under Rule 55(A) of Civil Services Rules.

6- On the cumulative effect of facts and reasons stated in the foregoing paragraphs, the impugned order of punishment dated 20.02.2013 being not legally sustainable is, hereby, quashed and set aside.

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं0–7166, दिनांक 19.08.2016 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड

से संबंधित संकल्प सं0–1640, दिनांक 20.02.2013 को निरस्त कर दिया गया तथा विभागीय पत्रांक–7428, दिनांक 27.08.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

श्री प्रसाद द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(S) No. 5823/2016 with Cont. Case (Civil) No. 553/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2017 को आदेश पारित कर द्वितीय कारण पृच्छा को निरस्त कर दिया है। न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है–

".... This Court is inclined to exercise the judicial review by quashing impugned show cause notice dated 27.08.2016 vide annexure-8 to the writ petition.

Resultantly, the writ petition stands allowed.

In view of disposal of the writ petition and on perusal of the show cause filed on behalf of opposite party nos. 1 and 2, Cont. Case (Civil) No. 553 of 2016 is hereby dropped."

अतः समीक्षोपरांत उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद से पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा को निरस्त करते हुए संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रदीप प्रसाद, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9.10.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–510/2014 का०–10455/ राँची, दिनांक 9 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री प्रदीप प्रसाद, झा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) एवं प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।